विपणन संघ

छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या.,
880, सिविल लाईन्स, मुख्यालय– रायपुर.

क्रमांक/स्था.वि./ /2015 रायपुर, दिनांक : .07.2015

सहायक लेखाधिकारी एवं सहायक प्रबंधक के पद पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन

छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या., रायपुर द्वारा छत्तीसगढ़ के मूलनिवासी सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के इच्छुक उम्मीदवारों से सहायक लेखाधिकारी/सहायक प्रबंधक (तृतीय श्रेणी कार्यपालिक) के पद पर सीधी भर्ती हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है। अतः वांछित शैक्षणिक योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी **दिनांक 20.08.2015 तक** ऑन लाईन आवेदन व्यापमं के वेबसाईट **cgvyapam.choice.gov.in** पर कर प्रस्तुत कर सकते है।

रिक्त पदों का विवरण –

सहायक लेखाधिकारी – पदों की संख्या – 20

क्र.	संवर्ग का नाम	पदों की संख्या	महिला वर्ग	भूतपूर्व सैनिक	विकलांग	मुक्त
1.	अनुसूचित जाति	02	–	–	–	02
2.	अनुसूचित जनजाति	06	02	01	–	03
3.	अन्य पिछड़ा वर्ग	03	01	–	–	02
4.	अनारक्षित	09	03	01	01	04
	कुल योग –	**20**	**06**	**02**	**01**	**11**

सहायक प्रबंधक – पदों की संख्या – 42

क्र.	संवर्ग का नाम	पदों की संख्या	महिला वर्ग	भूतपूर्व सैनिक	विकलांग	मुक्त
1.	अनुसूचित जाति	05	02	–	–	03
2.	अनुसूचित जनजाति	13	04	01	01	07
3.	अन्य पिछड़ा वर्ग	06	02	–	–	03
4.	अनारक्षित	18	06	02	01	10
	कुल योग –	**42**	**14**	**03**	**02**	**23**

यह नियुक्तियॉ मान. उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलसापुर के रिट पिटि. क्र. (सी) 591/2012, 592/2012, 593/2012 एवं 594/2012 में मान. न्यायालय द्वारा पारित किए जाने वाले अंतिम आदेश/निर्णय के अध्यधीन होंगी।

छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी अभ्यर्थियो के लिए उच्चतर आयु सीमा समय–समय पर शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अधिसूचना अनुसार शिथिलनीय होगी।

व्यापम का दायित्व मात्र परीक्षा आयोजित कर परीक्षा परिणाम जारी करनें तक सीमित रहेगा। मेरिट के आधार पर चयन/नियुक्ति की प्रक्रिया विभाग द्वारा की जावेगी।

त्रुटि सुधार के लिए हार्ड कॉपी/सॉफ्ट कॉपी में भेजा गया कोई भी आवेदन व्यापम द्वारा स्वीकार नहीं किया जावेगा । आवेदन पत्र एवं ओ.एम.आर. उत्तरशीट की प्रविष्टियों में अंतर पाये जाने पर उत्तरशीट की प्रविष्टियों के आधार पर परीक्षा परिणाम

जारी किया जावेगा । परीक्षा के दिन उत्तरशीट में (Answer Sheet) में श्रेणी (Category), वर्ग (Class), जन्म् तिथि (Date Of Birth) आदि में की गई प्रविष्टियों के आधार पर ही परीक्षा परिणाम जारी किये जायेगें । परीक्षा के पूर्व या परीक्षा परिणाम के बाद त्रुटि सुधार संबंधी कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जावेगा ।

आवेदन पत्र भरने से पहले आवश्यक दिशा निर्देशों को अत्यंत सावधानी से पढ़ें तथा सेम्पल फार्म (नमूना आवेदन पत्र) का अवलोकन करें ।

:: भाग – अ ::

नियम एवं शर्ते –

(1) वेतनमान –

सहायक लेखाधिकारी एवं सहायक प्रबंधक का नियमित वेतनमान रू 9300–34800+ ग्रेड वेतन 4200/– प्रतिमाह एवं विपणन संघ द्वारा समय–समय पर स्वीकृत महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ता देय होगा।

(2) शैक्षणिक अर्हता –

(अ) **सहायक लेखाधिकारी पद हेतु –** कामर्स स्नातकोत्तर एवं मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाण–पत्र।

(ब) **सहायक प्रबंधक पद हेतु –** स्नातक एवं मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाण–पत्र।

(3) दिनांक 01.01.2015 को 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो तथा 35 वर्ष से अधिक न हो।

(4) अन्य विशेष वर्ग जैसे – अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला एवं विकलांग आदि के लिए अधिकतम आयु सीमा में जो शासन द्वारा छूट दी गई है वे छूट लागू रहेगी, परन्तु उपरोक्त सभी प्रकार की छूट को सम्मिलित करने के बाद अधिकतम आयुसीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

उच्चतम आयु सीमा में छूट :–

(1) **निम्नलिखित श्रेणी के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में निम्नानुसार छूट रहेगी :–**

(4) एक (1) यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का है, तो आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष तक की छूट दी जावेगी।

(2) यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अन्य पिछड़ा वर्ग का है तो सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र कमांक/एफ–7–26–93/1/आ.प./ दिनांक 20.01.1994 के अंतर्गत् आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष तक की छूट दी जावेगी।

(3) छत्तीसगढ़ शासन के स्थायी/अस्थायी/वर्क चार्ज या कन्टिनजेन्सी पेड कर्मचारियों तथा छत्तीसगढ़ राज्य के निगमों/मण्डलों आदि के कर्मचारियों के संबंध में उच्चतम आयु सीमा 38 वर्ष रहेगी। यही अधिकतम आयु परियोजना क्रियान्वयन समिति के अंतर्गत् कार्यरत् कर्मचारियों के लिए भी स्वीकार्य होगी।

(4) ऐसा अभ्यर्थी जो छंटनी किया गया सरकारी सेवक हो, अपनी आयु में उसके द्वारा पहले की गई सम्पूर्ण अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक 7 वर्ष की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा, परन्तु उसके परिणामस्वरूप आयु सीमा 3 वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण :– 'छटनी किये गये शासकीय सेवक, से तात्पर्य है जो इस राज्य की अस्थायी सेवा में लगातार कम से कम 6 माह तक रहा हो तथा जिसे रोजगार कार्यालय में अपना नाम रजिस्टर्ड कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन देने की तारीख से अधिक से अधिक 3 वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवा मुक्त किया गया है।

(5) ऐसे अभ्यर्थी को, जो भूतपूर्व सैनिक हो अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त प्रतीक्षा सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जायेगी, परन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले यह अधिकतम आयु से 3 वर्ष से अधिक न हो।

(6) महिलाओं के लिए आयु में शासन के नियमानुसार 10 वर्ष शिथिलनीय होगी।

(7) सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ–1–2/02/1/3 दिनांक 02.06.04 के अनुसार शिक्षाकर्मियों को शासकीय सेवा में उतने वर्ष की छूट दी जायेगी जितने वर्ष शिक्षाकर्मी के रूप में सेवा की है इसके लिए 6 माह से अधिक सेवा की अवधि एक वर्ष की सेवा मान्य की जा सकेगी तथा वह छूट अधिकतम 45 वर्ष की आयु सीमा तक रहेगी जिन वर्गो को पूर्व से ही आयु सीमा में विशेष छूट का लाभ दिया जा रहा है। (अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विधवा/परित्यक्ता महिला आदि) वे इस निर्देश से प्रभावित नहीं होंगे।

(8) स्वयं सेवा नगर सैनिकों (वालेन्टरी होम गार्ड) एवं अनायुक्त अधिकारियों के मामलें में अधिकतम आयु सीमा में उनके द्वारा इस प्रकार की सेवा की उतनी कालावधि तक छूट 8 वर्ष की सीमा में अध्याधीन रहते हुए दी जायेगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(9) विधिवा, परित्यक्ता तथा तलाकशुदा महिलाओं के लिए उच्चतम आयु सीमा में 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट रहेगी।

(4) दो (1) आदिम जाति हरिजन एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत् पुरस्कृत दम्पत्तियों के सवर्ण सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी–3/10/85/3/1 दिनांक 29.06.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जायेगी।

(2) विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी–3/18/85/3/1 दिनांक 03.09.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जायेगी।

टीप :– (1) बिन्दु क्रमांक 3(एक) में अधिक लाभकारी वाली एक ही छूट मिलेगी।

(2) बिन्दु क्रमांक 3(दो) के अंतर्गत् प्रोत्साहन स्वरूप अधिकतम आयु सीमा में विभिन्न कार्यो/योजनाओं के अंतर्गत् दी गई छूटों में से यदि कोई आवेदक एक से अधिक छूटों का आधार रखता है तो उसे आयु सीमा में सर्वाधिक (अधिकतम) लाभ वाले किसी एक आधार (प्रोत्साहन वाले) के लिए देय छूट मिलेगी। यह छूट बिन्दु क्रमांक (एक) में दी गई विशेष छूट के अतिरिक्त होगी।

(4) (अ) तदर्थ रूप से शासन की सेवा में कार्यरत् आवेदकों को तत्संबंधी प्रमाण–पत्र नियुक्ति के समय प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

(ब) उपरोक्त कंडिका 4 एक (1), 4 एक (2), 4 एक (3), 4 एक (4), 4 एक (5), 4 एक (7), 4 एक (8) के अंतर्गत् उत्तम आयु सीमा में छूट की पात्रता के लिए नियोक्ता अधिकारी/सक्षम अधिकारी का प्रमाण–पत्र।

(स) कंडिका – 4 (एक) (9) के अंतर्गत् उच्चतम आयु सीमा में छूट की पात्रता के लिए विधिवा, परित्यक्ता तथा तलाकशुदा महिला आवेदकों के द्वारा सब–डिवीजनल मजिस्ट्रेट अथवा जिला मजिस्ट्रेट का प्रमाण–पत्र।

(द) कंडिका – 4 दो (1) के अंतर्गत् आयु सीमा में छूट के लिए सक्षम अधिकारी जिला मजिस्ट्रेट/सब डिविजनल मजिस्ट्रेट का प्रमाण–पत्र।

(य) कंडिका – 4 दो (2) के अंतर्गत् आयु सीमा में छूट के लिए ''विक्रम पुरस्कार'' प्राप्त होने का प्रमाण–पत्र।

(5) आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है (प्रमाण–पत्र नियुक्ति के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य हैं)।

(6) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थियों को जाति के समर्थन में शासन के सक्षम प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी स्थाई जाति प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रति नियुक्ति के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

(7) उक्त दोनों पदों के लिए व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा लिखित परीक्षा का आयोजन किया जायेगा। लिखित परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जावेगी। मेरिट सूची के आधार पर नियुक्ति की कार्यवाही की जावेगी।

(8) उपरोक्तानुसार संवर्गवार पदों की संख्या आवश्यकतानुसार घटाई/बढ़ाई जा सकेगी।

(9) सहायक लेखाधिकारी एवं सहायक प्रबंधक पद हेतु लिखित परीक्षा के प्राप्त अंकों के अनुसार चयन केवल मेरिट के आधार पर किया जावेगा।

(10) विज्ञापित पदों पर नियुक्ति प्रथमतः दो वर्षो की परिवीक्षा अवधि पर की जायेगी। कार्य संतोषजनक पाये जाने पर परिवीक्षा अवधि समाप्त की जा सकेगी, अन्यथा परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जा सकती है अथवा सेवा भी समाप्त की जा सकती है।

(11) आरक्षण के संबंध में शासन द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देश लागू होंगे।

(12) प्रत्येक पद हेतु आवेदन पृथक–पृथक प्रस्तुत करना होगा।

(13) शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था में कार्यरत् कर्मचारियों को अपना नियोक्ता के अनापत्ति प्रमाण–पत्र नियुक्ति के समय प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

(14) कोई भी उम्मीदवार जिसकी दो से अधिक जीवित संतान है जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

(15) भर्ती की प्रक्रिया के दौरान होने वाले किसी भी विवाद एवं समस्या पर अंतिम निर्णय लेने का सर्वाधिकार प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या., मुख्यालय रायपुर को होगा।

(16) ऑन लाईन आवेदन में दी गई जानकारी की समस्त प्रमाण–पत्रों की मूल प्रतियां नियुक्ति के समय प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

(17) <u>अन्य शर्तें :–</u>

1. परीक्षा शुल्क सामान्य वर्ग के लिए रू. 450/– अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए रू. 350/–, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/विकलांग वर्ग के लिए रू. 300/– निर्धारित है। यह राशि उम्मीदवारों से ली जायेगी, जो कि आवेदन के साथ देय होगी।

(18) छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ में सहायक लेखाधिकारी एवं सहायक प्रबंधक के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, रायपुर द्वारा आयोजित परीक्षा की समय–सारिणी –

1.	परीक्षा की तिथि – 13 सितम्बर 2015, रविवार		
2.	परीक्षा का समय –(अ) सहायक लेखाधिकारी (ब) सहायक प्रबंधक	– –	पूर्वान्ह 9.00 से 12.15 बजे तक अपरान्ह 2.00 से 5.15 बजे तक
3.	ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि	–	10.08.2015
	ऑनलाईन आवेदन पत्र भरकर ऑनलाईन परीक्षा शुल्क भरने की अंतिम तिथि	–	20.08.2015, रात्रि 11.59 तक
	ऑनलाईन आवेदन कर ऑफलाईन पेमेंट हेतु SBI Bank के चालान प्राप्त करने की अंतिम तिथि	–	22.08.2015, सायं 5.00 तक
	ऑफ लाईन (SBI Bank) के द्वारा प्राप्त चालान द्वारा पेमेन्ट की अंतिम तिथि		24.08.2015 बैंक के कार्यालयीन समय तक
4.	परीक्षा शहर एवं कोड – अंम्बिकापुर (11), बिलासपुर (13), दुर्ग (16), जगदलपुर (17), रायपुर (25)		
5.	परीक्षा शुल्क – सामान्य वर्ग अन्य पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/निःशक्तजन	– – –	450/– 350/– 300/–

सचिव
छ.ग. राज्य सह. विप. संघ मर्या.,
रायपुर (छ.ग.)